अध्याय–I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 52 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। विभागों और सम्बंधित इकाइयों का विवरण **परिशिष्ट–1** में दर्शाया और **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में विभागों और इकाइयों की सूची

क्र. सं.	विभागों का नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)	अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	योग
1	ऊर्जा विभाग	13	1	14
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	7	-	7
4	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	14	12[1]	26
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	7	-	7
6	परिवहन विभाग	1	-	1
7	हैण्डलूम और वस्त्र उद्योग विभाग	5	-	5
8	खादी और ग्रामोद्योग विभाग	-	1	1
9	पर्यटन विभाग	1	-	1
10	नगर विमानन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	2	-	2
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	2	3
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	2	2
योग		**52**	**19**	**71**

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1.2 वर्ष 2019–20 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के 13 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,227 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 358 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण' तथा 'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' की लेखापरीक्षा के परिणाम और पाँच विभागों[2] एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बंधित 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

---

[1] इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) की चार विभागीय प्रबंधित इकाइयां अर्थात राजकीय मुद्रणालय सम्मिलित है।

[2] लोक निर्माण विभाग; परिवहन विभाग; ऊर्जा विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया एवं लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

1.3 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिये चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

लेखापरीक्षा ज्ञापनः लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर): लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।

ड्राफ्ट प्रस्तरः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।

समापन गोष्ठीः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभाग के प्रमुख/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती हैं और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाइयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों की उत्तर की स्थिति**

13 विभागों/पीएसयूज/स्वायत्त निकायों (एबी) से सम्बंधित 1,407 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2020 तक जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2020 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 39,664 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 8,657 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 599 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 3,477 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गए थे जबकि 8,058 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 36,187 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2020 तक जारी किये गए) की 31 मार्च 2020 की स्थिति

क्रं.सं.	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2019-20	273 (3.15)	2,057 (5.19)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	1,794 (20.73)	10,415 (26.26)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,330 (15.36)	7,156 (18.04)
4	5 वर्षों से अधिक	5,260 (60.76)	20,036 (50.51)
योग		**8,657 (100)**	**39,664 (100)**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2019–20 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 10 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गयीं जिनमें दो निरीक्षण प्रतिवेदनों और 49 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

- **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019–20 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019–20 के लिये 'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण' की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन, की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 12 लेखापरीक्षा प्रस्तर को सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सम्बंधित विभाग के सरकार के सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर ड्राफ्ट प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम, 2020 के विनियम 138 का संदर्भित करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि वे विनियम, 2020 में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करें। 'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण' तथा दो लेखापरीक्षा प्रस्तर की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बंध में सरकार के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुये हैं। 'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' एवं 10 लेखापरीक्षा प्रस्तर के सम्बंध में सरकार का उत्तर अनुस्मारकों के बावजूद अभी भी प्रतीक्षित (नवम्बर 2021) हैं। हालाँकि, सभी प्रस्तरों के सम्बंध में प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.3** में दी गयी है।

तालिका 1.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2021 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज/ नॉन–पीएसयूज) का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुयी[3]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
अ. आर्थिक क्षेत्र (नॉन–पीएसयूज)					
2012-13	01.07.2014	2	6	2	0
2013-14	17.08.2015	2	5	1	2
2014-15	08.03.2016	4	4	4	4
2015-16	18.05.2017	2	4	1	4
2016-17	19.07.2019	-	4	-	1
2017-18	21.08.2020	-	10	-	9
2018-19	19.08.2021	-	9	-	9
योग		**10**	**42**	**8**	**29**

[3] ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; वित्त विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; लोक निर्माण विभाग; शहरी विकास विभाग; परिवहन विभाग; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बंधित।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज/ नॉन–पीएसयूज) का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुयी[3]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
ब. पीएसयूज					
2011-12	16.09.2013	2	14	1	1
2012-13	20.06.2014	1	19	-	1
2013-14	17.08.2015	2	15	1	5
2014-15	08.03.2016	6	12	2	3
2015-16	18.05.2017	6	11	3	-
2016-17	07.02.2019	3	7	2	5
2017-18	21.08.2020	1	12	-	6
2018-19	19.08.2021	-	06	-	6
योग		**21**	**96**	**09**	**27**
महायोग (अ +ब)		**31**	**138**	**17**	**56**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श**

वर्ष 2012–13 से 2018–19 के दौरान इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बंधित, 10 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 42 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गए। इनमें से, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 11 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा) को विचार–विमर्श के लिए चयनित किया। 30 सितम्बर 2021 को पीएसी द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है।

तालिका 1.4: पीएसी द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थिति	वर्ष 2012–13 से 2018–19 के लिए आर्थिक क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	52 (10 पीए/टीए + 42 सीए)
पीएसी द्वारा विचार–विमर्श हेतु लिए गए	11 (3 पीए/टीए + 8 सीए)
पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	-

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- **सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार–विमर्श**

वर्ष 1982–83 से 2018–19 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बंधित, 159 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 1,010 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गए। इनमें से, कोपू ने 148 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 995 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर को विचार–विमर्श के लिए चयनित किया। 30 सितम्बर 2021 को कोपू द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति **तालिका 1.5** में दी गयी है।

तालिका 1.5: कोपू द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

स्थिति	वर्ष 1982–83 से 2018–19 के लिए पीएसयूज की निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	1,169 (159 पीए[4] + 1,010 सीए)
कोपू द्वारा विचार–विमर्श हेतु लिए गए	1,143 (148 पीए+ 995 सीए)
कोपू द्वारा की गयी अनुशंसा	270 (29 पीए+ 241 सीए)
प्राप्त कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	-

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

1.5 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के इकाइयों के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन इकाइयों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ राज्य विधान मण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

- **इकाइयों के बकाया लेखाओं का अन्तिमीकरण एवं उनकी प्रस्तुति**

31 मार्च 2020 तक, उत्तर प्रदेश के 10 इकाइयों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी[5] गयी थी। 30 सितम्बर 2020 तक, 10 इकाइयों में से केवल एक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अपने 2019–20 तक के लेखाओं को अन्तिम रुप दिया था। बाकी नौ इकाइयों के 88 वार्षिक लेखे 2019–20 तक बकाया थे। वर्ष जिनके लिए वार्षिक लेखे बकाया थे का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: विभिन्न इकाइयों के बकाया लेखाओं का विवरण

क्र0 सं0	इकाइयों के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
3	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
5	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
6	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	3
7	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2019-20	2
8	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2019-20	2
9	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण	2014-15 से 2019-20	6
योग			**88**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

[4] उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों की क्रय पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

[5] सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा 2005–06 से जीओयूपी के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा सौंपी गयी।

राज्य विधान मण्डल में इकाइयों के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.6 दोनों इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) जो कि अभी राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं (सितम्बर 2020), का विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	इकाइयों के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ एसएआर की स्थिति		वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ एसएआर को प्रस्तुत न किये जाने के कारण
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि	
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	शून्य	2003-04	19 अक्टूबर 2006	यूपीईआरसी द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किये गये
			2004-05	5 अक्टूबर 2007	
			2005-06	5 अक्टूबर 2007	
			2006-07	3 अक्टूबर 2008	
			2007-08	17 अगस्त 2009	
			2008-09	15 अगस्त 2010	
			2009-10	26 मई 2011	
			2010-11	8 जून 2012	
			2011-12	24 सितम्बर 2014	
			2012-13	20 फरवरी 2015	
			2013-14	22 जून 2015	
			2014-15	28 दिसम्बर 2015	
			2015-16	18 मई 2017	
			2016-17	8 मार्च 2019	
			2017-18	15 मई 2020	
			2018-19	18 दिसम्बर 2020	
2	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	शून्य	2010-11	2 मई 2019	कैम्पा द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किये गये
			2011-12	1 अक्टूबर 2019	
			2012-13	1 अक्टूबर 2019	

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/इकाइयों में सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 197.17 करोड़ की वसूली सम्बंधित विभाग/इकाइयों द्वारा स्वीकार की गयी थी। इसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 26.73 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी जिसका विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/इकाइयों द्वारा स्वीकार/सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग/इकाई द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
ऊर्जा विभाग	मूल्य विचलन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	1	2.03	1	1.31
	डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को अनुचित लाभ	1	109.87	0	0
	'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' की लेखापरीक्षा	1	0.29	1	0.33[6]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	लीज एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाने से सरकारी खजाने को हानि	1	9.31	1	9.31
लोक निर्माण विभाग	जीएसटी रिटर्न की गलत फाइलिंग के कारण परिहार्य हानि	1	4.22	1	4.16
	'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण' की लेखापरीक्षा	1	1.61	1	1.62
परिवहन विभाग	आईटीएमएस परियोजना के लिये अनियमित भुगतान	1	69.84	1	10.00
योग		**7**	**197.17**	**6**	**26.73**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, अधिकांश राज्य इकाइयों के वार्षिक लेखे तैयार करने में अधिक बकाया और राज्य विधान मण्डल में वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ एसएआर नहीं प्रस्तुत करना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

[6] अद्यतन अवधि के लिये यूपीपीसीएल द्वारा धनराशि की गणना के कारण लेखापरीक्षा द्वारा वसूली इंगित से अधिक थी।